चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड

107, चन्दरनगर, देहरादून-248001

Tel: 0135-2723026, Fax-0135-2723027, 2723028, E-mail- dir.medu.uk@gov.in

पत्रांक–2712/चि0शि0/01/निदे0/13/2017/ दिनांक–6 जुलाई, 2018

सार्वजनिक सूचना

एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु लिये जाने वाले शुल्क का निर्धारण उत्तरांचल अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम 2006 की धारा 4 के अन्तर्गत गठित प्रवेश एंव शुल्क निर्धारण समिति की संस्तुति पर निर्धारित किया जाता है। मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका संख्या 92/2012 प्रदीप दत्त बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णयादेश दिनांक 12/06/2018 के अनुपालन में समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु प्रकरण विचाराधीन है।

उक्त प्रकरण विचाराधीन होने के कारण निजी चिकित्सा शिक्षा संस्थानों द्वारा एम0बी0बी0एस पाठ्यक्रमों में पूर्व में निर्धारित शिक्षण शुल्क सत्र 2018–19 एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु लिया जाना प्रस्तावित है।

उक्त शुल्क निर्धारण मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 1705/एम0एस0/2017 स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 933/एम0एस0/2018 श्री गुरु राम राय इन्स्ट्टीयूट ऑफ मेडिकल साईसेज, पटेलनगर, देहरादून बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या 2654/एम0एस0/2017 डॉ0 जगत नारायण सुभारती चेरेटेबिल ट्रस्ट, देहरादून बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में लम्बित आदेशों के अधीन है तथा मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के आदेश/निर्धारित शुल्क के अनुसार होंगें।

निदेशक

चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड

अमर उजाला